नगरपालिका निर्वाचन

मतदाता सूची

तैयार करने हेतु नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों के लिए

निर्देश-पुस्तिका

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
भोपाल
(अप्रैल 2014)

प्रस्तावना

शुद्ध एवं त्रुटिविहीन मतदाता सूची अधिक से अधिक, संख्या में मतदान की अर्हरता रखने वाले प्रत्येक नागरिक को निर्वाचन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है, और इस हेतु एक उत्प्रेरक वातावरण का निर्माण करती है. त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण मतदाता सूची चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा सकती है. त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची होने से मतदान के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कई बार विस्फोटक रूप धारण कर लेती है। अतः निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए मतदाता सूची की शुद्धता एवं त्रुटिहीनता होना अत्यन्त आवश्यक है.

चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने, अधिक से अधिक लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने तथा चुनाव के दौरान अनियमितताओं को खत्म करने के लिए मतदाता सूची को अद्यतन बनाना तथा उसका पुनरीक्षण करना अत्यन्त आवश्यक है. इस दिशा में गम्भीरता से प्रयास किये जा रहे है.

मतदाता सूची तैयार करने में नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है. पूर्व में यह पुस्तक मई—2009 की स्थिति में प्रकाशित की गई थी. वर्तमान में यह पुस्तक अप्रैल 2014 की स्थिति में पुनः संशोधित की गई है. इस पुस्तक में प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों एवं सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं का समावेश किया गया है.

आशा है कि यह पुस्तिका प्राधिकृत कर्मचारियों के लिए उनके विविध–कर्तव्यों के निर्वहन में उपयोगी सिद्ध होगी.

हस्ता./–
(आर. परशुराम)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
मध्यप्रदेश.

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1	प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, कर्त्तव्य एवं दायित्व	01-03
2	सुसंगत संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान	04
3	निर्वाचन प्रक्रिया का प्रशासनिक ढाँचा	05
4	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए अर्हता और निर्हरता	06
5	दावे तथा आपत्तियों के संबंध में कार्यवाही	07-09
6	मतदाता सूची एजेण्टों की नियुक्ति के संबंध में	10-11

प्ररूप

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
प्ररूप-1	मतदाता सूची एजेंट नियुक्ति हेतु	12
प्ररूप-2	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के अधिकृत पदाधिकारी की ओर से मतदाता सूची एजेण्ट नियुक्त किये जाने की जानकारी हेतु प्रपत्र.	13
प्ररूप-3	मृत मतदाताओं की जानकारी बावत्	14
प्ररूप-4	मतदाताओं के अन्यत्र चले जाने की जानकारी बावत्	15

परिशिष्ट

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
एक	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा-आवेदन प्ररूप-क	16-19
दो	मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति प्ररूप-ख	20-22
तीन	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति प्ररूप-ग	23-25
चार	रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्ररूप-घ.	26-28
पाँच	दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण	29

चेक लिस्ट

फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी के लिये चेक लिस्ट	30-35

अध्याय-1

प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, कर्त्तव्य एवं दायित्व

(1.1) प्राधिकृत कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग का स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि होता है जो वास्तव में अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर सूचनाएं एकत्रित करने तथा मतदाता सूची तैयार करने, पुनरीक्षण एवं उसके रख-रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. प्राधिकृत कर्मचारी एक स्थानीय सरकारी/अर्द्ध शासकीय कर्मचारी होता है, जो स्थानीय स्तर पर मतदाताओं से भिज्ञ होता है तथा सामान्यतः उसी मतदान क्षेत्र का मतदाता होता है जो स्थानीय भाषा में मतदाता सूची को अद्यतन रखने का कार्य करता है. यद्यपि प्राधिकृत कर्मचारी पूर्णकालिक चुनाव अधिकारी नहीं होता है परन्तु इसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले काम के कारण इसकी जिम्मेदारी अत्याधिक होती है. प्राधिकृत कर्मचारी के पास एक या दो मतदेय स्थलों का दायित्व होता है और यहां के स्थानीय निवासियों के लिए वह मित्र और मार्गदर्शक का कार्य करता है.

(1.2) मतदाता सूची किसी भी निर्वाचन का आधार होती है. सूची जितनी परिपूर्ण और सही होगी चुनाव उतने ही साफ-सुथरे होंगे. अतः यह आवश्यक है कि मतदाता सूची में यथासम्भव ऐसे सभी लोगों के नाम सम्मिलित हों जिन्हें कानूनन मतदान का अधिकार प्राप्त है और साथ ही ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है.

नगरपालिका निर्वाचन के लिए, मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जाती है. यह सूची विधानसभा की प्रचलित मतदाता सूची (अर्थात् अद्यतन सूची) पर आधारित रहती है. इस हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को वार्डवार छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके पहले प्रारूप सूची या प्रारंभिक सूची बनाई जाती है. तत्पश्चात् निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड से संबंधित प्रारुप सूची को, कम से कम 7 दिन तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/संबंधित नगरपालिका के कार्यालय/उप कार्यालय एवं कतिपय अन्य स्थानों (केन्द्रों पर) आम लोगों के निरीक्षण और उसके संबंध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए रखा जाता है. निर्धारित अवधि के दौरान उक्त सभी स्थानों पर, मतदाता सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने के लिए तथा उसमें नए नाम जोड़े जाने या सम्मिलित गलत नाम हटाए जाने या किसी अशुद्धि या त्रुटि को सुधारे जाने के संबंध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है, जिसे "प्राधिकृत कर्मचारी" कहा जाता है. प्राधिकृत कर्मचारी सामान्यतः मतदाता सूची के एक भाग के लिए जिम्मेदार होता है और प्राधिकृत कर्मचारी संबंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण में कार्य करता है.

जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा.

नगरपालिका क्षेत्र के ऐसे ही एक केन्द्र पर जहां कि प्रारुप मतदाता सूची का निरीक्षण कराया जाएगा और दावे और आपत्तियां प्राप्त की जावेंगी, आपको "प्राधिकृत कर्मचारी" के तौर पर नियुक्त किया गया है. आपका चयन इस बात का सूचक है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन ने आपकी क्षमता पर भरोसा किया है, अतः आपसे यह अपेक्षित है कि आप इस भरोसे के अनुरूप अपना कार्य पूरी सावधानी और निष्ठा से संपन्न करें.

प्रारुप मतदाता सूची का आम लोगों द्वारा निरीक्षण किये जाने और दावे तथा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए नियमों में न्यूनतम 7 दिन का समय निर्धारित है. इस अवधि के दौरान आपको प्रत्येक कार्यकारी दिन उस केन्द्र (स्थान) पर, जहां कि आपकी ड्यूटी लगायी है, दिन भर (अर्थात् प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक) उपलब्ध रहना होगा. ऐसा करने में किसी प्रकार की लापरवाही को एक गंभीर कदाचरण माना जायेगा.

जिस तारीख को प्रारुप मतदाता सूचियों का सार्वजनिक प्रकाशन होगा अर्थात् जिस दिन से उनका आम लोगों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, उसके पहले ही आपको संबंधित वार्डों की प्रारुप मतदाता सूचियों की प्रतियां उपलब्ध करा दी जायेंगी. ऐसी तारीख के लगभग एक सप्ताह पूर्व आपको, आपकी नियुक्ति का आदेश भी सीधे या आपके विभागीय नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हो जायेगी. नियुक्ति आदेश में इस बात का उल्लेख रहेगा कि आपको आवश्यक सामग्री प्राप्त करने तथा प्रशिक्षण के लिए कब और किस स्थान पर उपस्थित होना है. तद्नुसार आपको प्रशिक्षण, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिया जायेगा जो कम से कम 3 घण्टे तक चलेगा. प्रशिक्षण सत्र में संबंधित नगरपालिका के लिए नियुक्त सभी प्राधिकृत कर्मचारी भाग लेंगे.

प्रशिक्षण में आपको, आपके कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी. अपनी शंकाओं के निवारणार्थ आपको किसी भी बिन्दु पर प्रश्न पूछने का पूरा अवसर दिया जायेगा. आपको यह भी समझाया जायेगा कि दावे और आपत्तियों के लिए निर्धारित प्ररुपों (फार्म्स) को कैसे भरा जाना है और उनके संबंध में आपके द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक जांच या पूछ-ताछ में किन-किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना है. इस प्रशिक्षण को आप जितनी गम्भीरता से लेंगे उतना ही आपके हित में होगा क्योंकि बाद में मौके पर आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा तथा हर प्रकार की स्थिति का सामना स्वयं ही (अकेले) करना पड़ेगा.

प्रशिक्षण सत्र में आपको निम्नांकित सामग्री प्रदाय की जायेगी :—

(1) आपके प्रभार के प्रत्येक वार्ड की प्रारूप मतदाता सूची की एक प्रति,

(2) दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये 3 किस्म के प्ररूप (फॉर्म) (आवश्यक संख्या में),

(3) प्राप्त दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण फार्म (आवश्यक संख्या में).

नोट.—रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा संबंधित नगरपालिका के मुख्यालय पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने हेतु नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी को संबंधित नगरपालिका के अन्तर्गत आने वाले सभी वार्डों की मतदाता सूचियों का एक सेट दिया जायेगा.

प्रदाय की गई उपरोक्त सामग्री की सुरक्षा और देखभाल के लिए आप पूर्णत: जिम्मेदार होंगे.

आपको दिये जाने वाले दावा फार्मों (प्ररूप-क देखें परिशिष्ट-1) की संख्या, वार्ड की प्रारूप मतदाता सूची में अंकित कुल मतदाताओं की संख्या की लगभग 2 प्रतिशत रहेगी. जबकि आपत्ति फार्मों (प्ररूप-ख तथा प्ररूप-ग परिशिष्ट-2 एवं 3 क्रमश:) की संख्या लगभग 1 प्रतिशत रहेगी. प्राप्त ''दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण'' तैयार करने के लिए प्रदाय किये जाने वाले फार्मों की संख्या, 3 फार्म प्रतिदिन के मान से उतने दिनों के लिए होगी जितने दिनों तक मतदाता सूची को दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए खुला रखा जायेगा. साथ ही आपको कोरे कागज की 2 शीटें भी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि को विशेष सूचना या रिपोर्ट भेजने के लिए प्रदाय की जायेंगी.

प्राधिकृत कर्मचारियों के कर्तव्य एवं दायित्व:

प्राधिकृत कर्मचारी उसे आवंटित किये गये मतदाता सूची के भाग का भली-भांति अध्ययन करेंगे. वह संबंधित नगरीय क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर स्थानीय लोगों विशेष कर बुजुर्गों एवं निर्वाचित स्थानीय जन प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित

करेंगे तथा मृत/शिफ्टेड/डुप्लीकेट मतदाताओं के उन नामों को चिन्हित करेंगे, जिन्हें सुसंगत प्रावधानों के अधीन मतदाता सूची रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा हटाने की आवश्यकता है. प्राधिकृत कर्मचारी के मुख्य कार्य निम्न प्रकार है:—

- दावों एवं आपत्तियों को प्राप्त करना.
- परिवर्धन एवं अपमार्जन त्रुटियों की जांच.
- शिफ्टेड, मृत एवं अस्तित्वविहीन मतदाताओं की पहचान करना.
- मतदाता सूची में वर्तनी, दोहरे नाम की प्रविष्टियों, मतदाता सूची हेडर पेज, फोटो आदि की जांच.
- मतदाताओं के फोटो प्राप्त करना.
- मतदाताओं के मोबाईल नम्बर प्राप्त करना. (वैकल्पिक).
- जिन लोगों के नाम हटाए जाने हैं, उन्हें नोटिस जारी करने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना.
- पदाविहित स्थानों पर नामावली के आलेख/निर्धारित नोटिसों को प्रदर्शित करना.
- ई. वी. एम. के विषयक जन जागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार.
- भाग में आने वाले भवनों को सही प्रकार से क्रमबद्ध किया जाना तथा अनुभागों की शुद्ध क्रमबद्धता.
- राजनैतिक दलों के प्राधिकृत एजेण्ट के साथ समन्वय रखना.
- प्राप्त प्रपत्रों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना.
- पंजीकरण के समय मतदाता को निर्वाचन सम्बन्धी सामान्य जानकारी देना.
- चुनाव के पहले मतदाता पर्ची का वितरण.
- सामान्य भौगोलिक चौहद्दी के साथ नजरी नक्शा तैयार करना जिससे विशेष रूप से नई विकसित कालोनियों की ओवर लैपिंग न होने पाये.

प्राधिकृत कर्मचारी की किट

प्राधिकृत कर्मचारियों को निम्नानुसार सामग्री प्रदाय की जायेगी:—

1. प्राधिकृत कर्मचारी की हस्तपुस्तिका की एक प्रति.
2. प्राधिकृत कर्मचारी का रजिस्टर.
3. प्राधिकृत कर्मचारी का पहचान-पत्र.
4. समुचित मात्रा में कागज तथा लिखने की तख्ती.
5. सादा रजिस्टर.
6. पेन्सिल, रबर तथा कालम, पटरी.
7. समुचित मात्रा में प्ररुप क, ख, ग, एवं घ प्रपत्र.

अध्याय–2

सुसंगत संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 243–य क में यह उपबन्ध है कि नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 243–ट के अन्तर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा. अनुच्छेद 243–ट के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली को तैयार करने का अधीक्षण निर्देशन तथा नियंत्रण मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत हर व्यक्ति जिसने प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तथा भारतीय नागरिक हो और भारतीय संविधान या समुचित विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कानून के अन्तर्गत अनिवास, मानसिक रूप से विक्षिप्त चित्त विकृत अपराध या भ्रष्टाचार में निरर्हित घोषित न किया गया हो, को छोड़कर मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने हेतु पात्र होगा.

अध्याय–3

निर्वाचन प्रक्रिया का प्रशासनिक ढाँचा

प्रशासनिक ढाँचा	वैधानिक प्रावधान
म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग	राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचक प्रणाली के प्रशासनिक ढाँचे के शीर्ष क्रम में है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ट एवं 243 यक के अनुसार नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची को तैयार करने का अधीक्षण निर्देशन तथा नियंत्रण मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है.
राज्य निर्वाचन आयुक्त	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है.
जिला निर्वाचन अधिकारी	प्रत्येक जिले में कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं जो मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण एवं निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य अपने पर्यवेक्षण से सम्पन्न करवाते हैं.
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण हेतु एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है.
सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता एवं सहयोग के लिये एक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है.
प्राधिकृत कर्मचारी	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता एवं सहयोग के लिये प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाती है. प्राधिकृत कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण/पर्यवेक्षण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाता है.
अपीलीय अधिकारी	मतदाता सूची की तैयारी अथवा पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत दावे/आपत्तियों के निराकरण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग के निर्देशानुसार एक अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की जाती है.

अध्याय-4

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए अर्हता और निर्रहता

1. कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने का हकदार होगा, यदि वहः—

(क) अर्हकारी तारीख को (अर्थात् उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार की जा रही है) 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है.

(ख) उस वार्ड का सामान्य तौर से निवासी है, और

(ग) विधानसभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उक्त वार्ड से संबंधित हो) नाम दर्ज किए जाने के लिये अन्यथा अर्हित है.

2. कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य (निरर्हित) होगा यदि वह—

(क) भारत का नागरिक नहीं है, या

(ख) पागल (विकृत चित्त का) है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष सिद्धि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या

(घ) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है,

(ङ) जो फिलहाल चुनाव के संबंध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत मतदान के लिये अयोग्य है.

3. किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात् निरर्हित हो जाता है, उस मतदाता सूची में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगा.

परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि निरर्हता के कारण मतदाता सूची में से काटा गया है उस सूची में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता समाप्त हो जाए या विधिवत हटा दी गई हो.

4. मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 6 (4) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के पांच दिन के भीतर "अपील प्राधिकारी" को अपील कर सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों तथा जिला मुख्यालय की नगर परिषदों के लिए संबंधित कलेक्टर/अपर कलेक्टर को तथा अन्य नगर परिषदों के लिए संबंधित अनुविभाग अधिकारी (राजस्व) को, अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है.

अध्याय–5

दावे तथा आपत्तियों के संबंध में कार्यवाही

(1) मतदाता सूची के निरीक्षण के लिए निर्धारित अवधि के दौरान आपको अपने केन्द्र में प्रत्येक दिन (सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोड़कर) प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक निरंतर उपलब्ध रहना चाहिए. इस बीच यदि कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची देखना चाहे तो उसे तत्परता से सूची का निरीक्षण करने का अवसर देना चाहिए. तदुपरान्त यदि वह सूची में अपना या अपने परिवार के, किसी सदस्य का नाम (जो कि मतदाता के रूप में रजिस्टर किये जाने के लिए पात्र है), जोड़े जाने के लिए या सूची में अंकित नाम, आयु या अन्य किसी विवरण में हुई त्रुटि को दूर करने के लिए या सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति के नाम हो हटाए जाने के लिए आवेदन–पत्र (दावा या आपत्ति) पेश करना चाहे तो उसे सुसंगत फार्म (प्रारुप) तत्परता से उपलब्ध कराया जाए. दावे या आपत्तियां प्रत्येक कार्यकारी दिन, प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है. परन्तु ऐसा करने के लिए नियत आखरी तारीख को केवल 3.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है. यदि कोई व्यक्ति दावा या आपत्ति, आपको प्रस्तुत करने के बजाय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सीधे देना चाहे या डाक से भेजना चाहे तो, वह ऐसा कर सकता है.

(2) सामान्यतया व्यक्तिशः प्रस्तुत आवेदन–पत्र ही स्वीकार किए जाएं, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों से संबंधित आवेदन–पत्र परिवार का कोई सदस्य इकट्ठा प्रस्तुत करे तो उन्हें ग्रहण कर लिया जाए. यदि कोई अन्य व्यक्ति भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो, दावे और आपत्तियां थोक में प्रस्तुत करना चाहे तो उन्हें ग्रहण न किया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाए कि वह संबंधित व्यक्तियों से अलग–अलग आवेदन–पत्र दिलाए, क्योंकि आवेदकों के दावों और आपत्तियों पर जांच के सिलसिले में उनसे अलग–अलग पूछताछ की जानी होगी.

(3) दावे तथा आपत्तियां निम्नांकित प्रकार की हो सकती हैं:—

(क) मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाना,

(ख) नाम गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों के साथ उल्लिखित होना,तथा

(ग) मतदाता सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना, जो पात्र नहीं है.

दावे और आपत्तियां आयोग द्वारा निर्धारित प्ररुप (फार्म) में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है. वे अपने मत से तैयार किये गये किसी फार्म में स्वीकार नहीं किये जा सकते, परन्तु उनका आयोग द्वारा छपाये गये फार्म में ही होना आवश्यक नहीं हैं. वे निर्धारित प्ररुप की फोटोकापी में, या टाईप किये हुए या हाथ से लिखकर तैयार की गई कापी में भी स्वीकार किये जा सकते है.

आयोग द्वारा विहित प्ररूप निम्नांकित है :—

(1) दावा—(प्ररूप-क) ''दावा केवल मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है. दावा आवेदन पत्र का नमूना **परिशिष्ट-1** में दिया गया है.''

दावे के समर्थन में आवेदन-पत्र में यथास्थान किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होना जरूरी है जिसका नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित है.

''यदि कोई मतदाता अपना नाम सूची के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अंतरित करना चाहता हो तो उसके द्वारा भी इसी प्ररूप (फार्म) में दावा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा.''

(2) आपत्तियां (प्ररूप-ख तथा प्ररूप-ग)—आपत्तियां दो प्रकार की हो सकती हैं, अर्थात् :—

(I) **मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के ब्यौरे**—(जैसे-मकान नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, आयु) ''के संबंध में अशुद्धि या त्रुटि पर आपत्ति'' **(प्ररूप-ख)** :—

ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वह प्रविष्टि संबंधित है. इसके लिए किसी अन्य मतदाता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है. ऐसी आपत्ति से संबंधित आवेदन-पत्र का नमूना **परिशिष्ट-2** में दिया गया है.

(II) **मतदाता सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपित्त (प्ररूप-ग)**—ऐसी आपत्ति केवल ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम संबंधित नगरपालिका की मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित है अर्थात् जो संबंधित नगरपालिका का मतदाता है. साथ ही, ऐसी आपत्ति के समर्थन में, आवेदन-पत्र में यथास्थान, किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होना जरूरी है जो पहले से ही उस वार्ड का मतदाता है. ऐसी आपत्ति से संबंधित आवेदन-पत्र का नमूना **परिशिष्ट-3** में दिया गया है.

(4) आपका यह कर्तव्य है कि दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यदि प्ररूप (फार्म) भरने में या किसी प्रविष्टि को ठीक से समझने में आपसे मार्गदर्शन या सहायता मांगे तो आप ऐसी सहायता या मार्गदर्शन प्रसन्नतापूर्वक दें.

(5) कोई दावा तथा आपत्ति प्राप्त होने पर आपके द्वारा दावेदार या आपत्तिकर्ता को, संगत प्ररूप के अंत में लगी हुई ''आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना'' हाथों-हाथ दी जाए. मामले में रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए वह तारीख डाली जाए जो दावा या आपित्त प्रस्तुत किये जाने के दिन के ठीक 3 दिन बाद पड़ने वाले कार्यकारी दिवस की तारीख हो. उदाहरणार्थ यदि दावा या आपत्ति आवेदन-पत्र 5 तारीख को प्रस्तुत किया जाता है तो सुनवाई के लिए पेशी तारीख 9 की डाली जाए. साथ ही दावेदार या आपत्तिकर्ता से पेशी तारीख की सूचना प्राप्त हो जाने के प्रमाण स्वरूप, प्ररूप में ही मुद्रित पावती पर, उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाएं या अंगूठे का निशान लगवा लिया जाए.

(6) प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपत्ति के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुतकर्ता से पूछताछ की जाए और उसके आधार पर दावा या आपत्ति के प्ररूप में, सुसंगत स्थान पर, अपनी रिपोर्ट दर्ज की जाए. पूछताछ निम्नांकित बिन्दुओं के विषय में की जाए :—

(i) 1 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के संबंध में क्या प्रमाण है? उसकी स्कूल में अंकित जन्म तिथि क्या है और यदि ऐसे कोई कागज (प्रमाण-पत्र) उपलब्ध न हो तो उसके पास अन्य कौन सा कागज या परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है. यदि दावेदार की आयु 18 वर्ष से कहीं अधिक हो (जैसे कि 25 या 30 वर्ष) तो उसके द्वारा पूर्व में विधान सभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज न कराए जाने का क्या कारण था? क्या ऐसा कारण संतोषजनक है?

(ii) वह सामान्यतया कहां रहता है अर्थात् उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहां है और वह क्या करता है? उसके परिवार में और कौन-कौन से लोग हैं तथा क्या उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हैं?

(iii) जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूची में बने रहने पर आपित्त (तथा नाम हटाये जाने की मांग) की गई है, उसकी मृत्यु कब/कहां हुई?

(iv) जिस व्यक्ति का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने या अन्यत्र चले जाने या अपात्रता के कारण मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाए जाने के लिए मांग) की गई है, वह कब और कहां चला गया या उसकी कथित अपात्रता का आधार क्या है?

(7) उपरोक्त पूछ-ताछ के पश्चात् ही आपको दावे या आपत्ति प्ररूप में सुसंगत स्थान पर अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिए. उसमें यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि आपकी राय में दावा या आपत्ति स्वीकार करने योग्य है या नहीं?

पूछ-ताछ के समय आपको यदि दावेदार/आपत्तिकर्ता की ओर से कोई कागज-पत्र प्रस्तुत किये जाएं तो उन्हें भी उसके प्ररूप (फार्म) के साथ संलग्न कर दिया जाए. यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आपकी रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है. वह चाहे तो मामले में सुनवाई के दौरान अपनी संतुष्टि के लिए आगे और पूछ-ताछ कर सकता है या अलग से और भी जांच कराकर अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकाल सकता है.

(8) आपके द्वारा, **प्रत्येक दिन प्राप्त दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण** उसी दिन शाम को **परिशिष्ट-5** में दिये फार्म में तीन प्रतियों में तैयार किया जाए. इस विवरण की दो प्रति, प्राप्त दावे और आपत्ति मूल प्ररूपों के साथ, अगले दिन रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज दी जाए, जबकि तीसरी प्रति अपने कार्य स्थान अर्थात् केन्द्र के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रातः 10.00 बजे आम लोगों की सूचना और अवलोकन के लिए लगा दी जाए. नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति 3 दिन तक न हटाई जाए. इसके पीछे मंशा यह है कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने या किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो नगर के लोगों को उसका पता चल जाए और वे ऐसे प्रयास को निष्फल करने के लिए आपको या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को तथ्यों से अवगत करा सकें. यदि किसी दिन कोई दावा या आपत्ति प्राप्त न हो तो भी उस तारीख से संबंधित निरंक दैनिक विवरण तैयार किया जाए और उसका उपरोक्तानुसार प्रदर्शन और प्रेषण किया जाए. दैनिक विवरण की वह प्रति जो प्राप्त प्ररूपों (फार्म) सहित रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास पहुंचाई जानी है, को भेजे जाने के संबंध में उन्होंने जो भी व्यवस्था की हो या आपको जैसे भी निर्देश दिये हों, उनके अनुसार ही आपके द्वारा कार्यवाही की जाए.

दावें और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को अपरान्ह 3.00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपत्ति को स्वीकार न किया जाए. उस दिन प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का दैनिक विवरण उसी दिन शाम तक केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया जाए और रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वाली प्रतिलिपि भी (प्राप्त दावे और आपत्ति के प्ररूपों सहित) भेजे जाने हेतु तैयार कर ली जाए.

(9) कार्य पूर्ण हो जाने पर, आखरी दैनिक विवरण के साथ प्रारूप मतदाता सूची तथा बचे हुए प्ररूप (फार्म) सादे कागज पर लिखी गई एक रिपोर्ट के साथ (जिसमें यह उल्लेख हो कि आपको प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कुल कितने दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई) रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप दिये जाएं.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए म. प्र. स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) नियुक्त किया गया है. राज्य स्तरीय एजेन्सी (एस.एल.ए.) द्वारा प्रत्येक जिले में वेंण्डर नियुक्त किया गया है. वेण्डर से डाटा एन्ट्री के उपरान्त चेकलिस्ट (परिवर्धन, निरसन, संशोधन) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त होगी, जिसकी जांच आपके द्वारा की जाएगी. नियत समय में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी. अर्थात् फोटोयुक्त मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कोई त्रुटि नहीं हो यह आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा.

अध्याय-6

मतदाता सूची एजेण्टों की नियुक्ति के संबंध में

1. आयोग मतदाता सूचियों की तैयारी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की सहभागिता चाहता है जिससे मतदाता सूचियों की तैयारी में पारदर्शिता एवं यथार्थता रखने में सुविधा होगी. इस हेतु प्रारुप प्रकाशन पर मतदाता सूची की एक प्रति मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिले के अध्यक्ष/प्रभारी को नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है.

2. आयोग का ऐसा अनुभव है कि प्रारुप मतदाता सूचियों के प्रकाशन पश्चात् राजनैतिक दलों द्वारा प्रारुप मतदाता सूचियों की विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने की दिशा में अपेक्षित सक्रियता समय रहते नहीं दिखाई जाती है. यह उल्लेखनीय है कि यदि प्रारुप मतदाता सूची की विसंगतियां समय रहते संबंधित अधिकारियों (सहायक/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) के ध्यान में ला दी जाएं तो उन विसंगतियों का निराकरण मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पूर्व किया जा सकता है.

3. प्रकाशित प्रारुप मतदाता सूचियों के संबंध में मैदानी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जानकारी प्राप्त कर प्रारुप मतदाता सूचियों को अद्यतन किये जाने की प्रक्रिया में सहाभागिता हेतु आयोग द्वारा ''मतदाता सूची एजेण्ट'' नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी नियुक्ति प्राधिकृत कर्मचारियों के संदर्भ में होगी और जो एक वार्ड विशेष की मतदाता सूचियों के संदर्भ में जांच हेतु अधिकृत होगा.

4. आयोग के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल संलग्न निर्धारित प्ररुप में ''मतदाता सूची एजेण्ट'' नियुक्त कर सकेंगे. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने अध्यक्ष/सचिव/कार्यकारिणी सदस्य (Office bearer) के माध्यम से एक जिला प्रतिनिधि (district representative) को जिले में मतदाता सूची एजेण्टों की नियुक्ति हेतु अधिकृत कर सकेंगे. अधिकृत किये जाने के संबंध में प्ररुप-1 संलग्न है. जिला प्रतिनिधि द्वारा मतदाता सूची एजेण्टों के नियुक्ति पत्र इंक पेन/बॉल पेन से हस्ताक्षरित किए जाएंगे, **हस्ताक्षर हेतु रबर स्टाम्प का उपयोग नहीं किया जाएगा.**

5. शासकीय सेवक अथवा स्थानीय संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में कार्यरत कर्मचारी ''मतदाता सूची एजेण्ट'' के रूप में नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे.

6. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अधिकृत जिला प्रतिनिधि द्वारा मतदाता सूची एजेण्ट की नियुक्ति संलग्न निर्धारित प्ररुप-2 में की जायेगी. मतदाता सूची एजेण्ट नियुक्ति पत्र निर्धारित प्रारुप में प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

7. ''मतदाता सूची एजेण्ट'' मतदाता सूची के संबंध में दावे/आपत्तियां प्राप्त नहीं कर सकेगा. वह केवल एक मार्गदर्शक के रूप में मतदाताओं को निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करेगा.

8. मतदाता सूची एजेण्ट अपने अधिकारिता क्षेत्र में मृत एवं अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं की सूची प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित संलग्न प्ररुप 3 एवं 4 में प्रस्तुत कर सकेगा. संबंधित एजेण्ट को उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता के संबंध में एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई सूची उसकी जानकारी के आधार पर सत्य है जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है वह एक दण्डनीय अपराध करता है.

9. मतदाता सूची एजेण्ट अपने अधिकारिता क्षेत्र में मतदाताओं को मतदाता सूची के प्रारुप के निरीक्षण हेतु प्रेरित करेगा तथा यथास्थिति मतदाता सूची में नाम संशोधन/विलोपन तथा स्थानांतरित किये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगा. इसी प्रकार ''मतदाता सूची एजेण्ट'' मार्गदर्शक के रूप में 18 वर्ष या उससे अधिक के मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित करेगा.

10. मतदाता सूची एजेण्ट अपरिहार्य स्थिति जैसे मृत्यु की स्थिति में ही बदला जा सकेगा. उनको बदले जाने की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया अनुसार ही होगी. अगर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नया ''मतदाता सूची एजेण्ट'' नियुक्त किया जाता है तो प्रारुप मतदाता सूची की वही प्रति उपयोग में लाई जाएगी जो पूर्व में मतदाता सूची एजेण्ट को मान्यता प्राप्त दल द्वारा प्रदान की गई है.

प्रारुप मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित तैयार करने के संबंध में राजनैतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है. इस संदर्भ में पार्टी द्वारा आवश्यक जानकारी तथा निर्देश संबंधित एजेण्ट को दिये जाना होंगे.

प्ररुप—1

मतदाता सूची एजेंट नियुक्ति हेतु

(देखें अध्याय-6)

राजनैतिक दल द्वारा पदधारी को प्राधिकृत किये जाने की सूचना

.... दल मध्यप्रदेश

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
स्थानीय निर्वाचन
जिला .... (म. प्र.)

विषयः—नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् मतदाता सूचियों की तैयारी हेतु मतदाता सूची एजेंट की नियुक्ति के संबंध में अधिकृत करने बाबत्.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में मतदाता सूची एजेंट नियुक्त किये जाने हेतु पार्टी निम्नांकित को अधिकृत करती हैः—

नामों की सूचना भेजने के लिए प्राधिकृत पदधारी का नाम (1)	दल की जिले इकाई में उसके द्वारा धारित पद का नाम (2)	जिला जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है (3)

2. ऊपर उल्लेखित व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं—

नाम	नमूना हस्ताक्षर
(1) श्री	(1) ....

भवदीय,
अध्यक्ष/सचिव/कार्यकारिणी सदस्य
हस्ताक्षर . . . .
दल का नाम ....

स्थान ....
तारीख . . . .(दल की मोहर)

प्ररूप-2

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के अधिकृत पदाधिकारी की ओर से मतदाता सूची एजेंट नियुक्त किये जाने की जानकारी हेतु प्रपत्र

प्रति,

(1) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
स्थानीय निर्वाचन
जिला .... (म.प्र.).

विषय :—मतदाता सूची एजेंट नियुक्त किये जाने की सूचना के संबंध में.

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों की तैयारी के कार्य में सहभागिता हेतु . . . . को वार्ड क्रमांक . . . . नगरीय निकाय क्षेत्र . . . . के लिये मतदाता सूची एजेंट नियुक्त करता हूं / करती हूं तथा यह भी लेख करता हूं / करती हूं कि दल की ओर से क्षेत्र की मुद्रित मतदाता सूची की प्रति उन्हें उपलब्ध करा दी गई है.

मतदाता सूची एजेंट के लिये नियुक्त व्यक्ति का नाम क्षेत्र की मतदाता सूची क्रमांक . . . . पर दर्ज है.

नाम	नमूना हस्ताक्षर
(1) श्री	(1) ....

भवदीय,

स्थान ....

नाम ....

तारीख . . . .

जिला प्रतिनिधि, राजनैनिक दल

हस्ताक्षर . . . .

दल की सील (पदमुद्रा)

प्ररूप-3

मृत मतदाताओं की जानकारी बाबत्

नगरीय निकाय क्षेत्र का नाम ....

मतदाता सूची का भाग क्र. ....

मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि का सरल क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता के निवास का पता	मतदाता परिचय पत्र क्रमांक यदि जारी किया गया	जानकारी का स्रोत	टिप्पणी

मैं यह घोषित करता हूं / करती हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही है. मिथ्या जानकारी दिए जाने की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में वर्णित दण्डात्मक प्रावधानों का भी मुझे ज्ञान है.

(मतदाता सूची एजेंट के हस्ताक्षर)

दिनांक ....

पूरा नाम ....

दल का नाम ....

प्ररूप-4

मतदाताओं के अन्यत्र चले जाने की जानकारी बाबत्

नगरीय निकाय क्षेत्र का नाम ....

मतदाता सूची का भाग क्र. ....

मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि का सरल क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता परिचय पत्र क्रमांक यदि जारी किया गया	अन्यत्र चले जाने (पता जो ज्ञात हो) का उल्लेख	जानकारी का स्रोत

मैं यह घोषित करता हूं / करती हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही है. मिथ्या जानकारी दिए जाने की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में वर्णित दण्डात्मक प्रावधानों का भी मुझे ज्ञान है.

(मतदाता सूची एजेंट के हस्ताक्षर)

दिनांक ....

पूरा नाम ....

दल का नाम ....

<u>नगरपालिका निर्वाचन</u> **प्ररूप-क**

परिशिष्ट-1

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा-आवेदन

[नियम 5 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-क"]

हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ (3.5 से. मी.×3.5 से. मी.), जिसमें बॉक्स के भीतर चेहरे की पूरी आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
नगरपालिक निगम/ न.पा.प./नगर परिषद् ....
जिला ....

महोदय,

मैं प्रार्थना करता / करती हूं कि उपरोक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक. . . . . में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए, मेरा नाम (पूरा)................................ पुरुष/स्त्री/अन्य .... पिता/पति का नाम.......................... गृह क्रमांक . . . . मोहल्ला/गली ....

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार —

(i) मैं भारत का/की नागरिक हूं.

(ii) गत 1 जनवरी को मेरी आयु . . . . वर्ष और . . . . मास थी.

(iii) मैं ऊपर दिए गए पते वाले स्थान का / की सामान्यत: निवासी हूं.

(iv) मैंने उक्त नगर के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.

(v) उक्त नगर या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है.

मेरा नाम ग्राम/नगर .... जिला................ जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले सामान्यत: निवास कर रहा था/रही थी, की मतदाता सूची में सम्मिलित है, और मैं प्रार्थना करता/करती हूं कि उसे उक्त मतदाता सूची से हटा दिया जाए :—

*ग्राम.............................. वार्ड क्रमांक . . . . ग्राम पंचायत .... विकासखंड .... जिला ....

*नगर.................................... वार्ड क्रमांक . . . . तहसील ....
जिला .... स्थान .... तारीख . . . .

....

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

दावे का समर्थन

मैं उस मतदाता सूची में सम्मिलित एक मतदाता हूं जिसमें सम्मिलित किए जाने के लिए दावेदार ने आवेदन किया है. मेरा नाम उक्त नगर के वार्ड क्रमांक . . . . की मतदाता सूची के भाग क्रमांक . . . . में क्रमांक . . . . पर दर्ज है. मैं इस दावे का समर्थन करता/करती हूं और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूं.

. . . .

समर्थक के हस्ताक्षर

पूरा नाम . . . .

टिप्पणी :—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है.

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख . . . .

(कार्यालय के लिए)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

तारीख . . . .

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना
(प्रस्तुतकर्ता के लिए)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो ....
का/की निवासी हैं, से **प्ररूप-क** में आवेदन प्राप्त हुआ.

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान .... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख . . . . को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी. वे सुनवाई के लिए आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों.

तारीख . . . .

प्राधिकृत कर्मचारी ....
वार्ड क्रमांक . . . .
वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप :—

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिए तारीख. . . . . को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.

(2) प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है:—

....

....

....

तारीख . . . .

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम ....)

वार्ड का क्रमांक . . . .

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक . . . . तारीख. . . . .

श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . जो . . . . का/की निवासी हैं, द्वारा "**प्ररूप-क**" में प्रस्तुत आवेदन को,—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम उक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक . . . . . . के भाग क्रमांक . . . . में सम्मिलित कर लिया गया है.

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :—

. . . .

. . . .

. . . .

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

मोहर

नगरपालिका . . . .

प्ररूप-ख

परिशिष्ट-2

मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति

[नियम 5 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ख"]

हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ (3.5 से. मी.×3.5 से. मी.), जिसमें बॉक्स के भीतर चेहरे की पूरी आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
नगरपालिक निगम/ न.पा.प./नगर परिषद् ....
जिला ....

महोदय,

मैं, निवेदन करता/करती हूं कि उक्त नगर के वार्ड क्रमांक . . . . के भाग क्रमांक . . . . की मतदाता सूची की प्रविष्टि, जो क्रमांक . . . . पर "..........................." के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है. कृपया उसे शुद्ध करें जिससे वह निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाए:—

....

....

स्थान ....
तारीख . . . .

....
मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
पूरा नाम ....

टिप्पणी.—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का *उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है.

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख . . . .

(कार्यालय के लिए)

पावती

प्रस्तुत दावे/आपित्त पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

तारीख . . . .

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिए)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो .... का/की निवासी है, से **प्ररूप-ख** में आवेदन प्राप्त हुआ.

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान .... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख . . . . को समय 10.30 बजे प्रात: की जाएगी. वे सुनवाई के लिए आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों.

तारीख . . . .

प्राधिकृत कर्मचारी ....

वार्ड क्रमांक . . . .

वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप :—

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिए तारीख . . . . को प्रात: 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.

(2) प्रारंभिक जांच -पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है:—

....

....

....

तारीख . . . .

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम ....)

वार्ड का क्रमांक . . . .

आवेदन के सम्बन्ध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक . . . .   तारीख . . . .

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो .... का/की निवासी है, द्वारा "**प्ररूप-ख**" में प्रस्तुत आपत्ति को :—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाएगी —

....

....

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है:—

....

....

मोहर

. . . .

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

<u>नगरपालिका निर्वाचन</u> **प्ररूप-ग**

परिशिष्ट-3

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति

[नियम 5 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ग"]

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
नगरपालिक निगम/ न.पा.प./नगर परिषद् ....
जिला ....

महोदय,

मैं, उपरोक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक . . . . के भाग क्रमांक . . . . में क्रमांक . . . . . . पर श्री/श्रीमती/कुमारी .... का नाम सम्मिलित किए जाने पर, निम्नलिखित कारण से आपत्ति करता/करती हूं:—

....

....

2. मैं, घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं. उक्त वार्ड की मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप में सम्मिलित हुआ है:—

पूरा नाम .... पुरुष/स्त्री/अन्य ....

पिता/पति का नाम ....

वार्ड क्रमांक . . . . भाग क्रमांक . . . . मतदाता क्रमांक . . . .

तारीख . . . .

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पूरा डाक पता ....

....

आपत्ति का समर्थन

मैं, उस मतदाता सूची में सम्मिलित एक मतदाता हूं, जिसमें वह नाम दिया हुआ है जिस पर आपत्ति की गई है. मेरा नाम वार्ड क्रमांक . . . . की मतदाता सूची के भाग क्रमांक . . . . में क्रमांक . . . . . . पर दर्ज है. मैं इस आपत्ति का समर्थन करता/करती हूं और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूं.

. . . .

मतदाता के हस्ताक्षर

पूरा नाम . . . .

टिप्पणी.—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का *उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है.

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख . . . .

(कार्यालय के लिए)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

तारीख . . . .

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिए)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो .... का/की निवासी है, से **प्ररूप-ग** में आवेदन प्राप्त हुआ.

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान .... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख .... को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी. वे सुनवाई के लिए आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों.

तारीख ....

प्राधिकृत कर्मचारी ....
वार्ड क्रमांक ....
वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्ट :—

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिए तारीख .... को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है.

(2) प्रारंभिक पूछ-ताछ के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है:—
....
....
....
....

तारीख ....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम ....)

वार्ड का क्रमांक ....

आवेदन के सम्बन्ध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक ....

तारीख ....

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो नगर .... का/की निवासी है, द्वारा "**प्ररूप-ग**" में प्रस्तुत आपत्ति को :—

(क) स्वीकार कर लिया गया है कि उक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक .... के भाग क्रमांक ..... में क्रमांक ....पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी .... के नाम को निकाल दिया गया है.

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है:—
....
....

मोहर

....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नगरपालिका ....

<u>नगरपालिका निर्वाचन</u> प्ररूप-घ

परिशिष्ट-4

रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील

[नियम 6 (5) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-घ"]

स्थान ....

तारीख ....

प्रति,

अपील प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अपर कलेक्टर/कलेक्टर ....

जिला ....

विषय :—रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगर परिषद् .. .. के आदेश क्रमांक . . . . तारीख . . . . के विरुद्ध अपील.

महोदय,

विषयान्तर्गत नगर की मतदाता सूची तैयार करने के लिये नियुक्त वार्ड क्रमांक . . . . के प्रभारी रजिस्ट्रीकरण /सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, श्री .... के संदर्भित आदेश से व्यथित होकर मैं, उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत करता/करती हूं. विवादित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है.

2. रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष मैंने निम्नांकित आपत्ति/दावा किया था :—

....

....

....

3. मेरी अपील के आधार निम्नांकित हैं :—

(1) ....

....

(2) ....

....

4. निवेदन है कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों पर पुन: विचार करते हुए रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का विवादित आदेश निरस्त किया जाए तथा मेरा दावा / मेरी आपत्ति स्वीकार की जाए.

यदि अपीलार्थी का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो तो उसका विवरण :—

वार्ड क्रमांक . . . .

भाग क्रमांक . . . .

मतदाता क्रमांक . . . .

हस्ताक्षर (अपीलार्थी)..............................

नाम (पूरा)..............................

पिता / पति का नाम..............................

....

पता ....

घोषणा

मैं ऊपर वर्णित अपीलार्थी यह घोषणा करता / करती हूं कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार इस अपील की उपर्युक्त कंडिकाओं में उल्लिखित कथन सत्य हैं.

. . . .

हस्ताक्षर (अपीलार्थी)

नाम (पूरा) ....

संलग्न : (1) रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश तारीख . . . . की प्रतिलिपि.

(2) अपील के समर्थन में प्रस्तुत अन्य दस्तावेज (यदि कोई हों).

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख . . . .

(कार्यालय के लिए)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता.

तारीख . . . .

अपील की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

श्री / श्रीमती / कुमारी .... पिता / पति का नाम .... द्वारा रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रभारी, वार्ड क्रमांक. . . . . के आदेश तारीख . . . . .के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसमें सुनवाई, तारीख . . . . को प्रात: 10.30 बजे की जाएगी. अपीलार्थी आवश्यक साक्ष्य के साथ मेरे कार्यालय में उपस्थित हो.

हस्ताक्षर ....

मोहर

अपील प्राधिकारी ....

तारीख . . . .

<u>नगरपालिका निर्वाचन</u> **परिशिष्ट-5**

नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगर परिषद्.................. जिला..................

दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण

तारीख . . . .

भाग-1—दावे :— (नाम जोड़ने के लिए)

क्रमांक	दावेदार का नाम तथा पिता / पति का नाम	वार्ड का विवरण जिसमें नाम जोड़े जाने का दावा किया गया है		जांच / सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

भाग-2—आपत्ति:—(प्रविष्टियों के संशोधन के लिए)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता / पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जांच / सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	प्रविष्टि क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग-3—आपत्ति:—(नाम विलोपित किये जाने के लिए)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता / पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है				जांच / सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	प्रविष्टि क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

कार्य स्थान.................

तारीख . . . .

हस्ताक्षर

प्राधिकृत कर्मचारी

वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

''निर्वाचन भवन''

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)—462 011

क्रमांक एफ–70–27/2014/तीन/636 भोपाल, दिनांक 5–4–2014

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला–समस्त (म.प्र.).

विषय :—नगरपालिका आम निर्वाचन 2014 हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई चेक लिस्ट.

नगरपालिका आम निर्वाचन 2014 हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चेक लिस्ट तैयार की गई है. चेक लिस्ट में अंकित समयावधि में निर्वाचन संबधी कार्य पूर्ण किए जाने हैं. इसी आधार पर आगे मॉनीटरिंग की जाएगी. अतः चेक लिस्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है. मतदाता सूची तैयार किये जाने हेतु संलग्न चेक लिस्ट में कार्यवाही की समय–सीमा निर्धारित है. यह चेक लिस्ट सर्वसंबंधितों को भी उपलब्ध कराई जाए. यह भी आवश्यक है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994, आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश एवं निर्देश पुस्तिकाओं का भी अध्ययन किया जाए.

संलग्न—चेक लिस्ट.

हस्ता./–
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

पृ. क्रमांक एफ–70–27/2014/तीन/637 भोपाल, दिनांक 5–4–2014

प्रतिलिपि :—

1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश.
2. स्टॉफ आफीसर, माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
3. सचिव के निज सहायक, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
4. प्रभारी, आई. टी., मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

हस्ता./–
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

नगरपालिका आम निर्वाचन 2014

(फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी के लिए)

चेक लिस्ट

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा जारी

जिला स्तरीय चेक लिस्ट

क्र.	कार्य की मद	दी गई समयावधि एवं कार्य को पूरा किया जाना	किसके द्वारा	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन की जानकारी उपलब्ध कराई जाना.	शासन द्वारा निर्धारित तिथि तत्काल.	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	आयोग के पत्र क्रमांक एफ 70-22/08/तीन/1008, भोपाल, दिनांक 7-10-09.
2	सामान्य निर्वाचन शाखा से फोटोयुक्त मतदाता सूची की हार्ड कॉपी प्राप्त करना.	तत्काल	उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	
3	सामान्य निर्वाचन शाखा से प्राप्त निर्वाचक नामावली की जांच करना कि वे पूर्ण हैं और उनके प्रत्येक भाग, अनुक्रमांक के साथ अनुपूरक सूची संलग्न है तथा वह अद्यतन है.	प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के कार्यक्रम अनुसार.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	
4	मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में प्लॉन तैयार करना तथा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.	तत्काल	उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	आयोग का पत्र क्रमांक एफ 85-3/96/न.प./3775, भोपाल, दिनांक 2-11-96 के अनुसार.
5	आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी होने के उपरांत अपीलीय अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति.	आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में उल्लेखित तिथि पर.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा.	
6	नगरीय निकाय के अधिकारियों को मतदाता सूची कार्य में जवाबदार बनाने की दृष्टि से आदेश जारी किया जाना.	तत्काल	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	आयोग के ज्ञापन क्रमांक एफ 107-3/96/न.प./895, दिनांक 17 जून 1999 के अनुसार.
7	आधार पत्रक तैयार करने वाले कर्मचारियों एवं नगरपालिका के स्टाफ का विस्तृत प्रशिक्षण.	यथासमय	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा.	
8	वेण्डर के लिए जिला एवं तहसील पर व्यवस्था सुनिश्चित करना	यथासमय	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	शिफ्ट होने वाले मतदाताओं के संबंध में जानकारी एवं आधार पत्रक तैयार करना तथा एस.एल.ए. द्वारा नियुक्त वेण्डर को उपलब्ध कराना.	आयोग के कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा	
10	वेंडर से डाटा इन्ट्री उपरांत प्राप्त चेक लिस्ट की जांच करना तथा प्राप्त त्रुटियों को वेंडर को संसूचित करना.	यथासमय	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा.	
11	वार्डों में मतदाताओं की संख्या एक हजार से अधिक होने पर मतदाता सूची को भागों में बांटना.	प्रारूप मतदाता सूची तैयार होने पर.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा.	
12	जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी का गठन तथा बैठकों का आयोजन	मतदाता सूची तैयार किये जाने के कार्यक्रम जारी होने पर.	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	आयोग के पत्र क्रमांक एफ 70-26/04/तीन/680, भोपाल, दिनांक 7-8-2004 के अनुसार.
13	नगरीय निकायों की मतदाता सूची के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक ली जाकर मतदाता सूची एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधानों से अवगत कराना.	प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह पूर्व.	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा	म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 52-07/09/तीन/832, भोपाल, दिनांक 27-8-2009 के अनुसार.
14	दावे-आपत्तियां प्राप्त करने के उपयुक्त स्थानों का निरीक्षण और वहां पर आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्थाएं.	जारी मतदाता सूची कार्यक्रम अनुसार.	रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा.	
15	निरीक्षण केन्द्रों पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों का चयन करना.	कार्यक्रम निर्धारित तिथि अनुसार होने पर.	रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा.	
16	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश का अनुमोदन जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जाना.	निर्धारित कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा.	
17	प्राधिकृत कर्मचारियों का विस्तृत प्रशिक्षण एवं उन्हें किट उपलब्ध कराना.	यथासमय	उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा.	
18	वेण्डर से प्राप्त प्रारूप, मतदाता सूची को प्राधिकृत कर्मचारियों एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराना.	यथासमय	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	वेण्डर द्वारा किये जा रहे समस्त कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना.	यथासमय	जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा.	
20	प्रारूप मतदाता सूची का निर्धारित स्थान पर प्रकाशन	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा.	
21	दावे-आपत्ति प्राप्त केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना केन्द्रों का सतत निरीक्षण तथा प्राधिकृत कर्मचारियों को आने वाली कठिनाइयों का निदान.	यथासमय	उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा.	
22	दावे-आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को प्रारूप भरने में सहायता करना.	यथासमय	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा.	
23	दावे-आपत्तियों के संबंध में दावेदार या आपत्तिकर्त्ता को आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना प्रदान करना.	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
24	प्रतिदिन दावे-आपत्तियों का दैनिक विवरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना.	कार्यक्रम अनुसार	प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा	
25	प्रत्येक दावे तथा आपत्तियों के संबंध में जांच की जाकर अपना प्रतिवेदन अंकित करना.	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
26	प्रतिदिन पूर्वान्ह में गत दिवस से संबंधित समस्त दावे-आपत्तियों को दैनिक विवरण सहित कार्यालय में प्राप्त करने की व्यवस्था.	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
27	मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं जिला रजिस्ट्रार (पंजीकरण) से विगत कैलेण्डर वर्ष में पंजीकृत मृतकों की जानकारी प्राप्त की जाना.	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
28	स्वप्रेरणा के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं जारी किया जाना.	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
29	प्राधिकृत कर्मचारियों से प्राप्त दैनिक विवरण को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराना.	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	प्राप्त दैनिक विवरण से प्रकरण रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित करना.	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
31	प्ररूप ग में प्राप्त आपत्तियों के माध्यम से तामीली रसीद को प्रकरण से संबंधित अभिलेख में संधारित किया जाना.	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
32	सभी दावे-आपत्तियों का नियमित रूप से निपटारा एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित तारीख तक आवश्यक रूप से निराकरण.	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
33	समस्त परिवर्धन, वार्डों का नजरी नक्शा एवं संशोधन सूचियों को एस.एल.ए. द्वारा नियुक्त वेंडर को उपलब्ध कराना.	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
34	एस.एल.ए. से प्राप्त चेक लिस्ट की जांच उपरांत उसको वापस करना.	कार्यक्रम अनुसार	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
35	एस.एल.ए. को वेंडर से अंतिम मतदाता सूची प्राप्त करना तथा उसका प्रकाशन.	आयोग द्वारा घोषित तिथि पर	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
36	अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराना एवं अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची का सेट जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराना.	आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
37	वेंडर से पी.डी.एफ. फॉरमेट में डी.व्ही.डी. प्राप्त करना		रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
38	अपीलीय अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध कराना	मांग करने पर तत्काल	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
39	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी को सुनवाई के अवसर देना.	कार्यक्रम अनुसार	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	
40	संक्षिप्त जांच के उपरांत समुचित आदेश पारित करना	सुनवाई पश्चात्	अपीलीय अधिकारी	
41	अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का परिपालन सुनिश्चित किया जाना.	मतदाता सूची	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा	

शाकेमुभो—16—उसरानिआ—9-4-14—8,000.